प्रेस नोट
दिनांक 10.02.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा गैर–इरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–39/25, धारा 191(2),105 बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. राकेश कुमार पुत्र अलकराम, 02. प्रदीप कुमार पुत्र जगराम निवासीगण ग्राम गोडियनपुरवा हीरापुर कमियार थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा ग्राम काशीपुर चचरी स्थित गन्ने के खेत के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.02.2025 को वादिनी बच्ची देवी पत्नी दिलीप गोड़िया निवासी गोड़ियन पुरवा थाना को0 कर्नलगंज द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि बच्चों के विवाद को लेकर गांव के ही निवासी अंकित व प्रदीप पुत्रगण जगराम, राकेश व बबलू पुत्रगण अलखराम तथा अलखराम व जगराम पुत्रगण जोगी द्वारा मिलकर मेरे पति प्रदीप उर्फ दिलीप पुत्र छबिलाल को गाली देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा, जिन्हें इलाज हेतु घायल अवस्था में सीएचसी कर्नलगंज ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया गया। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 कर्नलगंज में 06 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 10.02.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों–राकेश कुमार पुत्र अलकराम, 02. प्रदीप कुमार पुत्र जगराम को ग्राम काशीपुर चचरी स्थित गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में संलिप्त 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राकेश कुमार पुत्र अलकराम नि0 ग्राम गोडियनपुरवा हीरापुर कमियार थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. प्रदीप कुमार पुत्र जगराम नि0 ग्राम गोडियनपुरवा हीरापुर कमियार थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–39/25, धारा 191(2),105 बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सरफराज खां।
02. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह।
03. उ0नि0 उत्कर्ष नवीन।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 10.02.2025</u>

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल द्वारा पीडितों की फ्रॉड गयी 1,24,955/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितों के फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि **1,24,955/-** (एक लाख चौबीस हजार नौ सौ पचपन रू0) पीड़ितों के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदिका श्रद्धा गुप्ता शिवपुरी कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के साथ 8,000 रू0, आवेदक जितेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल सिविल लाइन थाना को0 नगर के साथ 18,000/-, आवेदक इमरान कुरैशी थाना को0 देहात के साथ 5,000/-, आवेदक संदीप कुमार मोर्या थाना कटराबाजार के साथ 6,000/-, आवेदक शिवशंकर सोनकर के साथ 25,000/- व आवेदक अजय प्रताप श्रीवास्तव थाना को0 नगर के साथ 62,955/- रू0 की साइबर ठगी हुई थी। साइबर फ्रॉड के उपरान्त पीड़ितों द्वारा इसकी शिकायत जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के समक्ष की गयी थी। जिस पर साइबर सेल द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ितों के 1,24,955/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व साइबर सेल टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 10.02.2025</u>

<u>बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत–</u>

आज दिनांक 10.02.2025 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटी टीम द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत (गुड्डूमल, एकता चौराहा, भरत मिलाप चौराहा, पिपल चौराहा व इनकैन चौराहा) संचालित दुकानों, होटलों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया। अभियान के दौरान 02 बच्चों से 02 सेवा नियोजक श्रम कराते हुए पाये गए श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा उक्त सेवा नियोजकों के विरूद्ध कुल 02 निरीक्षण टिप्पणी काटी गयी।
<u>इस दौरान जिला चाइल्ड हेल्पलाइन से श्री माखन लाल तिवारी, थाना ए0एच0टी0 से प्रभारी नि0 लाल बिहारी, मुख्य आरक्षी गउचरन, का0 चन्द्रशेखर यादव मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 10.02.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 30,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 25.05.2020 को वादी रक्षाराम गोसाई द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर के आधार पर दहेज हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–114/2020 धारा 498ए,304बी भादवि 4 डी0पी0 एक्ट बनाम 04 नामजद अभियुक्तों–01. सुभाष गोस्वामी(पति), 02. रमेश गोस्वामी(ससुर), 04. श्यामू उर्फ छोटकऊ(जेठ), 04. ध्यानवती (जेठानी) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें कटराबाजार पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 18.06.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 10.02.2025 को अभियोजक श्री विनय कुमार सिंह, थाना कटराबाजार के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम श्री राजेश कुमार द्वारा अभियुक्त सुभाष गोस्वामी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 30,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण रमेश गोस्वामी, श्यामू उर्फ छोटकऊ, ध्यानवती को दोषमुक्त किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. सुभाष गोस्वामी पुत्र रमेश गोस्वामी नि0 बहादुरपुरवा मौजा डुढई थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–114/2020, धारा 498ए,304बी भादवि व 4 डी0पी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।